न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—361/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/361

अपीलाण्ट :— बनाम रेस्पोडेन्ट :—

1. मकनाराम पुत्र पुनमाराम,

2. वीजू पुत्री खेताजी, जातियान कुम्हार, निवासीगण मुंथला काबा, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।

1. आम्बा पुत्र अनाजी कौम कुम्हार निवासी मुंधला काबा फौत के कायम मुकाम वारिसान—

1/1 धीरा पुत्र आम्बा, उम्र 60 वर्ष,

1/2 ढेपीदेवी पुत्री आम्बा, उम्र 70 वर्ष,

1/3 अमिया पुत्री आम्वा, उम्र 57 वर्ष,

1/4 चमना पुत्र आम्वा, उम्र 52 वर्ष,

1/5 पोचु पुत्री आम्बा, उम्र 50 वर्ष,

1/6 कान्तिया पुत्र आम्वा, उम्र 48 वर्ष,

1/7 कमी पुत्री आम्बा, उम्र 47 वर्ष,

समस्त जातियान कुम्हार, निवासीगण मुंथला काबा, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।

2. चुनिया पुत्र अनाजी, कौम कुम्हार निवासी मुंथला काबा फौत के कायम मुकाम वारिसान—

2/1 चम्पा पुत्री चुनिया, उम्र 55 वर्ष,

2/2 मोवन चुनिया, उम्र 52 वर्ष,

2/3 सुकी पुत्री चुनिया, उम्र 50 वर्ष,

2/4 मंछा पुत्र चुनिया, उम्र 46 वर्ष,

2/5 ढेली पुत्री चुनिया, उम्र 42 वर्ष,

2/6 फुली पुत्री चुनिया, उम्र 38 वर्ष,

समस्त जातियान कुम्हार, निवासीगण मुंधला काबा, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।

3. गणेशा पुत्र अनाजी, कौम कुम्हार नियासी मुंधला काबा फौत के कायम मुकाम वारिसान—

3/1 बादली पुत्री गणेशा, उम्र 62 वर्ष,

3/2 प्रेमा पुत्र गणेशा, उम्र 49 वर्ष,

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24/12/2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

3/3 पंकु पुत्री गणेशा, उम्र 46 वर्ष,

3/4 फुला पुत्र गणेशा, उम्र 44 वर्ष,

3/5 जीवा पुत्र गणेशा, उम्र 42 वर्ष,

समस्त जातियान कुम्हार, निवासीगण मुंथला काबा, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।

4. सांकलिया पुत्र अनाजी, जाति कुम्हार, निवासी गुंथला काबा, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।

5. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।

6. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत भरूडी पंचायत समिति जसवंतपुरा, जिला जालोर।

7. नवु पुत्री खेताजी,

8. रघुनाथाराम पुत्र जीवाजी.

9. सरमीदेवी पत्नी जीवाजी,

10. कुपाराम पुत्र जीवाजी,

11. पंकुदेवी पुत्री पुनमाजी,

12. सणगीदेवी पुत्री खेताजी,

13. सुकीदेवी पुत्री खेताजी,

14. सकीदेवी पुत्री खेताजी,

15. हुआदेवी पुत्री खेताजी,

16. लुंगीदेवी पुत्री खेताजी,

17. गुलाबीदेवी पुत्री शंकरजी,

18. मेथी देवी पुत्री शंकरजी,

19. मांगीलाल पुत्र शंकरजी,

20. लीला पुत्री शंकरजी,

21. बाबु पुत्र छोगाजी,

22. चुनीदेवी बेवा जैसाजी,

23. जमनादेवी पुत्री जैसाजी,

24. हंसा पुत्री जैसाजी,

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24/12/2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

25. शारदा पुत्री जैराजी,

26. लक्ष्मी पुत्री जैराजी,

27. रावाराम पुत्र छोगाजी,

28. ईशाराम पुत्र छोगाजी,

29. रणछोडा पुत्र छोगाजी,

30. हुकमा पुत्र छोगाजी,

31. प्रतापचंद पुत्र शंकरलाल,

32. जयंतिलाल पुत्र जैराजी,

33. गवरीदेवी पुत्री शंकरजी,

जातियान कुम्हार, निवासीगण धुंथला कावा, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी निर्णय उपखण्ड अधिकारी जसवंतपुरा बमुकदमा राजस्व प्रकरण संख्या 2/2020 (म्यूटेशन अपील) बअनवान खेता के कायम मुकाम धीरा वगैरह बनाम आम्बा के कायम मुकाम धीरा वगैरह दिनांक 13.08.2024 को निरस्त करने बाबत

उपस्थिति :-

1. श्री,अशोक कुमार, श्री राजेन्द्रसिह राजपुरोहित विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री डी.आर. सोलकी, श्री भेराराम परिहार विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

:: निर्णय ::

दिनांकः 24.12.2024

1. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जसवंतपुरा के प्रकरण संख्या 02/2020 निर्णय दिनांक 13.08.2024 बअनवान खेता के का.मु. बनाम आम्बा के का. मु. व अन्य से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैरअपील पारित करने में न केवल तथ्यो कि भूल की है अपितु विधि के मूलभूत सिद्धान्तों कि भी भूल कि है।

अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रतना पुत्र मुलो के प्रथम श्रेणी के वारिसान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों तहत होने से अपीलाधीन आराजी वर्तमान खसरा नंबर 220 जिसके पूर्व खसरा नंबर 146 है, में अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट का पुश्तैनी हकों अनुसार उनका हक व हिस्सा बाई बर्थ निहित होने से चुनौती दी है तथा नामांतरणकरण संख्या 502 की स्वीकृति से पूर्व उक्त आराजी अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रही हैं। इस आधार पर चुनौती दी गई थी परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उसके समक्ष अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं पारिवारिक सजरे का विवेचन किये बगैर निर्णय जैरअपील पारित की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट ने प्रथम सेटलमेंट की नकल प्रस्तुत की है, जिसमें उक्त आराजी रतना पुत्र मुलो के नाम दर्ज है तथा रतना पुत्र मुलो अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट का पिता/पति व दादा है, पारिवारिक सजरा अनुसार उक्त आराजी अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट के पुश्तैनी आराजी है, जिसमें अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट का पुश्तैनी हको अनसुार हक व हिस्सा निहित है क्योंकि अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट हिन्दू विधि से शासित होते है। ऐसी स्थिति मे उक्त कानूनी बिन्दू को विवेचित नहीं कर अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जैरअपील पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

विवादित्त म्यूटेशन संख्या 502 गाम पंचायत भरूडी द्वारा तथाकथित बेचान दस्तावेज दिनांक 24.11.1970 के आधार पर स्वीकृत किया गया है जबकि ग्राम पंचायत का अधिकार कृषि भूमि में नामांतरणकरण इत्यादि स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार सीमित है क्योंकि ग्राम पंचायत को पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत करने की समय सीमा तीस दिवस से अधिक की नहीं है परन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत के अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर विवादित म्यूटेशन स्वीकृत करने में कानूनी व वाक्याती भारी भूल की है, जो जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

ग्राम पंचायत द्वारा म्यूटेशन संख्या 502 दिनांक 20.06.2005 को स्वीकृत किया गया है। दिनांक 20.06.2005 को तथाकथित खरीददारान आम्बा, चुनिया, गणेशा पिसरान अना कौम कुम्हार की भी मृत्यु हो चुकी थी ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत ने उक्त म्यूटेशन मृत व्यक्तियों के पक्ष में स्वीकृत किया हैं, जिसे करने का ग्राम पंचायत भरूडी को कोई अधिकार अथवा क्षेत्राधिकार हासिल नहीं था। उक्त महत्वूपर्ण तथ्य को विवेचित किये बगैर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट के पूर्वाधिकारी खेता पुत्र रतना कौम कुम्हार का देहांत वर्ष 1982 में हुआ तथा इसी प्रकार अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट के पुर्वाधिकारी छोगा पुत्र रतना का देहांत वर्ष 1983 में हुआ तथा इसी प्रकार अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट के पूर्वाधिकारी जैसा पुत्र रतना का देहांत वर्ष 2001 में हुआ। उक्त तीनों पुर्वाधिकारियों का देहांत वर्ष 1982, 1983 व 2001 में होने के पश्चात् उक्त आराजीयात बतौर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट के नाम राजस्व अभिलेख

24/12/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

में अमल दरामद की गई। उक्त तमाम दस्तावेजी साक्ष्य एवं राजस्व अभिलेख अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध होने के बावजूद उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य को विवेचित किये बगैर अपीलाधीन निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाधीन आराजी पर कब्जा व काश्त अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट का उनके बुजुर्गान के समय से निरंतर शांतिपूर्वक बिना किसी प्रकार के बाधा व रोकटोक के चला आ रहा है, जिसमें कभी किसी ने कोई दखल बाधा रूकावट अथवा बेजामदाखलात पैदा नहीं की है। उक्त तथ्य की ताहिद अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट के बुजुर्गान खेता, छोगा व जैसा की मृत्यु पर राजस्व अभिलेख में बतौर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट के नाम वर्ष 1982,1983,2001 में दर्ज हुई है, ऐसी स्थिति में उक्त आराजीयात पर अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट का सेटल्ड पजेशन भौतिक रूप से एवं दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी प्रमाणित होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट के बुजुर्गान गणेशा पुत्र अना का देहांत वर्ष 1997 है एवं आम्बा पुत्र अना का देहांत वर्ष 2003 में हो चुका है तथा रेस्पोडेंट के बुजुर्गान ने अपने जीवनकाल में अपने द्वारा खरीद की गई आराजी बाबत् राजस्व अभिलेख में अपने नाम से अमल दरामदगी नहीं करवाई है तथा उनके वारिसान ने उनकी मृत्यु उपरांत तकरीबन 35 वर्ष पश्चात् गाम पंचायत भरूडी के कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलीभगत कर म्यूटेशन स्वीकृत करवाया है, जिसका किसी प्रकार का कोई विवेचन अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में नहीं किया है तथा अपीलाधीन निर्णय नॉन स्पीकींग तथा अनरिजन्ड होने से भी जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद दस्तावेज अस्पष्ट एवं अपूर्ण है क्योंकि दस्तावेज में निष्पादन की तारीख दिनांक 10.09.1970 हैं एवं पंजीयन की तारीख दिनांक 24.11.1970 है, जो दस्तावेज देखने मात्र से संदेहास्पद एवं फर्जी व कूटरचित दर्शित होता है बावजूद इसके अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने में कानूनी व वाक्याती भारी भूल की है. जो निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंटस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथाकथित बेचाननामा दिनांक 24.11.1970 के पश्चात रिसेटलमेंट की कार्यवाही सन 1978 से 1983 तक बंदोबस्त विभाग द्वारा संपादित की गई हैं। इस दर्मयान पुराने खसरा नंबरान से नवीन खसरा नंबरान का सृजन करते वक्त यदि रेस्पोडेंट अथवा उनके बुजुर्गान का कब्जा काश्त होता तो रिसेटलमेंट के दौरान रेस्पोडेंट अथवा उनके बुजुर्गान के नाम राजस्व अभिलेख में अवश्य दर्ज होते परन्तु मौके पर रेस्पोडेंटस का अपीलाधीन आराजी के किसी भी हिस्से पर कभी कोई कब्जा अथवा काश्त नहीं रहा है इसलिये सेटलमेंट विभाग ने अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट के पूर्वाधिकारियों के नाम राजस्व अभिलेख में भौतिक रूप से कब्जे व काश्त की जांच कर दर्ज किये है, जो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद पत्रावली में दस्तावेज साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में उक्त तमाम साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मोजूद होने के बावजूद निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

24/12/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपीलाधीन आराजी के अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट बतौर खातेदार दर्ज होते हुए अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट का अपीलाधीन आराजी में हित निहित होते हुए भी बिना नोटिस, सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील नामांतरणकरण, प्राकृतिक व नैसर्गिक न्याय के विपरित अपने पद व अधिकारों का दुरूपयोग कर अवैधानिक कृत्य किया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पंजीकृत विकय पत्र के जरिये स्वीकृत नामांतरणकरण को जबतक पंजीकृत दस्तावे अवैध व शून्य घोषित नहीं हो जाता तब तक विक्रय पत्र वैध व प्रभावी हैं। इस कारण पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत नामांतरणकरण को वैध होना अपने निर्णय में वर्णित किया है जबकि उक्त आराजीयात अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट के लिये पुश्तैनी है तथा अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट पुश्तैनी आराजीयात में अपना हक व अधिकार रखते है। ऐसी स्थिति में पुश्तैनी आराजीयात के संबंध में कोई दस्तावेज यदि अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट के खिलाफ है तो वह दस्तावेज अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट के हक व अधिकारों के मुकाबले एब इनिशियों वॉयड दस्तावेज है, जिसे शून्य घोषित करवाने की आवश्यकता हैं।

प्रार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी उस वक्त हुई दिनांक 18.11.2024 को आम्बा, चुनीया, गणेशा पिसरान अना कौम कुम्हार के वारिशान वादग्रस्त आराजी पर आये एवं अपीलांट को उसके कब्जे काश्त से रोकने लगे तब अपीलांट ने उन्हे रोका तो वह नहीं मानें एवं कहा हमने अधिनस्थ न्यायालय से म्यूटेशन का फैसला हमारे नाम से करवा दिया जिस पर प्रार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.11.2024 को नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 19.11.2024 को प्राप्त हुई इससे पूर्व प्रार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी कभी नही रही।

अपीलांट एवं परफोर्मा रेस्पोडेंट जो रतना पुत्र मुलो के प्रथम श्रेणी के वारिसान है। रतना पुत्र मुलो ने अपनी मृत्यु के समय अपीलांट्स व परफोर्मा रेस्पोडेंट के बुजुर्गान खेता, छोगा व जैसा पुत्रगण रतना को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान के रूप मे छोडा है। अपीलांटस के बुजुर्गान के नाम सरहद मौजा मुंथला काबा तहसील जसवंतपुरा में पूर्व खसरा नंबर 146 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा किस्म भूमि बारानी अव्वल की स्थित थी, जिसके रिसेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट विभाग द्वारा नवीन खसरा नंबर 220 रकबा 1.90 हैक्टर किस्म भूमि बारानी प्रथम सृजित किया गया। पूर्व खसरा नंबर 146 की भूमि अपीलांटस के बुजुर्गान रतना पुत्र मुलो के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट के बुजुर्गान खेता, छोगा व जैसा के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई। तत्पश्चात खेता, छोगा व जैसा की मृत्यु के बाद उक्त आराजी अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट के नाग राजस्व अभिलेख में बतौर वारिसान प्रथम श्रेणी के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई। जुलाई 2020 के दर्मयान अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट ने अपने नाम दर्ज भूमि के अभिलेख की जानकारी चाही तो हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट के नाम दर्ज जमीन राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेंटस ने अपने नाम दर्ज करवा दी है, जिस पर राजस्व अभिलेख की नकले प्राप्त कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंटस के नाम स्वीकृत नामांतरणकरण संख्या 502 दिनांक 20.06.2005 ग्राम पंचातय

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24/12/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

भरूडी पंचायत समिति जसवंतपुरा द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट की ओर से अपील प्रस्तुत की गई तथा नामांतरणकरण संख्या 502 को चुनौती दी गई, जिस पर अधिनरथ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया ।

लिहाजा अपील अपीलांट्स पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जसवंतपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2024 बअनवान खेता फौत के कायम नवु वगैरह बनाम आम्बा फौत के कायम मुकाम हीरा वगैरह बमुकदमा नंबर 02/2020 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें तथा विवादित म्यूटेशन संख्या 502 दिनांक 20.06.2005 ग्राम पंचायत भरूडी पंचायत समिति जसवंतपुरा अविधिक व गैरकानूनी होने से एवं अपीलांटस व परफोर्मा रेस्पोडेंट के पुश्तैनी अधिकारों के खिलाफ होने से निरस्त फरमाये जाने आदेश प्रदान करावे।

6. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अपील में बहस/लिखित बहस में अभिकथन कर निवेदन किया कि –

अपील के पद संख्या 01 का जवाब इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील विधि विरूद्ध एवं झुठे तथ्यो पर आधारित होने से प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। इस सम्बंध मे इस न्यायालय को अंधेरे मे रखकर माननीय अपर जिला न्यायाधीश भीनमाल के आदेश दिनांक 19/11/2024 को जानबुझकर छिपाते हुए झुठे शपथ पत्र पेश कर इस न्यायालय से दिनांक 22/11/2024 को अपीलांट की ओर से स्थगन प्राप्त किया गया है तथा साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे भी जानबुझकर इस राजस्व न्यायालय के स्टे आर्डर व झुठे शपथ पत्र को छिपाते हुए सिविल रिट दिनांक 20/11/2024 को दायर की गयी है। इस प्रकार इस न्यायालय को अंधेरे मे रखकर तथ्यो को छिपाकर झुठे एवं मनंगढत तथा आधारहीन तथ्यो के आधार पर अपीलांट की ओर से उक्त अपील पेश की गयी है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। जब दिनांक 20/11/2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय मे टाईटल एवं म्युटेशन सम्बंधी रिट इस न्यायालय के शपथ पत्र को छिपाकर पेश कर दी गयी तो श्रीमान के न्यायालय को राजस्थान उच्च न्यायालय में चल रही याचिका के विरूद्ध स्टे देने का क्षेत्राधिकार उत्पन्न नही होता है, साथ ही माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के आदेश दिनांक 19/11/2024 को भी जानबुझकर छिपाते हुए इस राजस्व न्यायालय मे झुठे शपथ पत्र के आधारो पर अपील दायर की गयी जिसके विरूद्ध भी श्रीमान के न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। इस प्रकार उक्त अपील किसी भी प्रकार से श्रीमान के क्षेत्राधिकार व सुनवाई क्षेत्र मे नही होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

माननीय अपर एवं जिला न्यायालय भीनमाल के आदेश दिनांक 19/11/2024 में यह स्पष्ट आदेशित किया गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट भीनमाल के आक्षेप्ति आदेश व निर्णय एवं डिकी दिनांक 09/10/2024 को अपास्त कर वादीगण का वाद खारिज किया गया है एवं राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 14/10/2024 एवं दिनांक 21/10/2024 को निष्पादित प्रक्रिया को निरस्त घोषित किया जाकर तहसीलदार भीनमाल के आदेश कमांक भू: अ/05/2095/दिनांक 14-06-2005 की पालना मे किया गया नामांतरण प्रभावशील रहेगा। इस आदेश मे अप्रार्थीगण के जरिये रजिस्ट्री बेचान दिनांक 24/11/1970, पुस्तक संख्या 01, VOL XXXVII के पृष्ठ संख्या 121 से 122 तथा कम संख्या 843 पर पंजीवद्ध होने से साबिक खसरा संख्या 146

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24/12/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

रकबा 12–1/4 हाल खसरा संख्या 220 रकबा 1.90 का आम्वा, गणेशा, चुनिया, सांकला पिसरान अन्नाजी, कौम कुम्हार का बेचाण होने एवं श्रीमान तहसीलदार भीनमाल के आदेश कमांक भू.अ/05/2095, दिनांक 14/06/2005 की पालना में मौके पर खरीददारान एवं उनके कायम मुकामान का कब्जा होने से नामान्तरण खोला गया है। इस प्रकार भी टाईटल व नामान्तरण की श्रीमान जिला अपर न्यायालय भीनमाल द्वारा पुष्टि की गयी है जिससे भी उक्त अपील प्रथम दृष्टया विधि व नियमों से परे होने के खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार "कृषि भूमि के टाईटल एवं म्युटेशन के सम्वंध में पारित जिला न्यायाधीश भीनमाल द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय को उपलब्ध नही है। यह एक विधि द्वारा स्टेबलिस्ट स्थिति है कि राजस्व न्यायालय सिविल न्यायालय द्वारा पारित टाईटल व म्युटेशन सम्बंधी आदेश को मानने के लिये बाध्य है, क्योकि सिविल न्यायालय द्वारा पारित म्युटेशन एवं टाईटल से सम्वंधी आदेश को राजस्व ओथोरटिज को उस आदेश की पालना सुनिश्चित की जाती है। माननीय बोम्बे हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश स्पष्ट यह है कि सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश को राजस्व न्यायालय सुन नही सकता है, म्युटेशन प्रविष्ठया एवं टाईटल सम्बंधी मुददो पर सिविल न्यायाधीश का आदेश प्रभावी रहेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी विधि के न्यायिक दृष्टांत मे यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि म्युटेशन संबधी प्रविष्ठी का उदेश्य केवल फिसकल प्रपज है न कि उससे कोई अधिकार, टाईटल, इंट्रेस्ट कंफर्म होता है इस प्रकार श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश महोदय भीनमाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/11/2024 जिसमे एस.डी.ओ. जसवंतपुरा के आदेश को आवाद रखा है के विरूद्ध श्रीमान को स्टे आदेश पारित करने का न्यायिक क्षेत्राधिकार नही है। इस सम्बंध मे राजस्थान उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के निम्न नवीनतम निर्णयो में भी स्थिति स्पष्ट की गयी है।–

केस नम्बर 01– हितेष कुमार बनाम राजस्थान राज्य दिनांक 20 सितम्बर 2021,

केस नम्बर 02– श्री राम अवतार बनाम राजस्थान राज्य 2004 इस मामले मे राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है कि एडिशनल जिला जज का आदेश राजस्व न्यायालय के लिये बाध्यकारी है।

केस नम्बर 03– प्रेमसिंह बनाम राजस्थान राज्य एस.एल पी नम्बर 10443/2019– इस मामले मे उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राजस्व न्यायालय के पास शीर्षक व म्युटेशन के मामले मे निर्णय लेने की शक्ति है लेकिन यह शक्ति सिविल न्यायालय के आदेश के अधिन होगी इस प्रकार उक्त अपील पूर्णतया न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग करते हुए दायर की गयी है जिसे प्रथम दृष्ट्या उक्त अपील व स्थगन खारिज फरमावे।

7. प्रकरण में उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट एवं परफोर्मा रेस्पोडेण्ट जो रतना पुत्र मुलो के वारिसान है। सरहद मौजा मुंथला काबा के ख.न. 146 जिसके नये ख.न. 220 है । रतना की मृत्यु के बाद खेता,छोगा व जैसा के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई । तत्पश्चात खेता, छोगा व जैसा की मृत्यु के बाद उक्त आराजी जुलाई 2020 में अपीलाण्टस व परफोर्मा रेस्पोडेण्ट ने अपने नाम दर्ज भूमि की जानकारी चाही तो हल्का पटवारी द्वारा बताया गया की उक्त जमीन रेस्पोडेण्टस ने अपने नाम ना.करण सं. 502 के द्वारा अपने नाम दर्ज करवा ली। जिसका ग्रा.प. को कोई अधिकार

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

नही था। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन जायदाद पुश्तैनी आराजी है। एवं सभी का अपीलाधिन आराजी वाई बर्थ नोशनल हक हिस्सा है। पूर्वाधिकारियो को राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने मात्र से उसे बेचान या अन्तरण के कतई हक व अधिकार हासिल नही होते है। अपीलाधिन आराजी पर पूर्वजो के समय से वर्तमान तक सेटल्ड पजेशन अपीलाण्टस का बना हुआ है। रेस्पोडेण्टस द्वारा छल व कपटपूर्ण तरिके से अपीलाधिन आराजी को हडपने की बदनियति से फर्जी, मिथ्या व कुटरचित दस्तावेज बेचान है । अपील स्वीकार करते हुए ना.स. 502 को खारीज फरमावे। वकील रेस्पोडेण्ट का कथन है कि रतना पुत्र मूला के उत्तराधिकारियो खेता,छोगा,जैसा पि. रताना ने अपने जीवनकाल में अपीलाधीन आराजी को विधि पूर्वक आम्बा,गणेशा, सांकला व चुनीया पि. अनाजी को सन 1970 में पंजीकृत बेचान के आधार पर बेच दिया था। तब से लगाकर आज दिन तक रेस्पोडेण्ट का ही कब्जा काश्त है। जिससे अपीलाण्टस का उक्त आराजी में कोई किसी भी प्रकार का हक हिस्सा या नोशनल शेयर बाई बर्थ नही बनता है क्योकि बेचान की उक्त दिनांक तक अपीलाण्ट जन्म ही नही हुआ था। इस संबंध में इस न्यायालय को अंधेरे में रखकर माननीय अपर जिला न्यायाधीश भीनमाल के आदेश दिनांक 19.11.2024 को जानबुझकर छिपाते हुए झुठे शपथ पत्र पेश कर इस न्यायालय से दिनांक 22.11.24 को स्थगन प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार राजस्व न्यायालय के पास शीर्षक व म्युटेशन के मामले में निर्णय लेने की शक्ति है लेकिन यह शक्ति सिविल न्यायालय के आदेश के अधीन होगी इस प्रकार उक्त अपील पूर्णतया न्यायिक प्रकिया के दुरूपयोग करते हुए दायर की गई है। निवेदन किया कि अपील के सारे तथ्य मनगंढत एवं तथ्यहीन व सारहीन होने से अपील खारीज किया करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है इसलिए निर्णय को यथावत रखा जावे।

8. पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस पर मनन किया गया। नामान्तरणकरण संख्या 502 की पृष्ठ भूमि में रहे रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 24.11.1970 को माननीय सिविल न्यायालय, भीनमाल द्वारा दिनांक 09.10.2024 को पारित निर्णय द्वारा निरस्त किया गया था। इस उपरान्त सिविल न्यायालय भीनमाल के निर्णय के विरूद्ध माननीय अपर जिला न्यायाधीश, भीनमाल में अपील प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा दिनांक 19.11.2024 को निर्णय पारित कर सिविल न्यायालय भीनमाल के निर्णय दिनांक 9.10.24 को निरस्त किया जा चुका है । अर्थात रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 24.11.1970 जिसके आधार पर वर्ष 2005 में ना.स. 502 दर्ज किया गया था का विधिक आधार सही पाया गया है। साथ ही अपर जिला न्यायाधीश भीनमाल के आदेश दिनांक 19.11.2024 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील प्रस्तुत करना अवगत कराया है परन्तु इस कोई स्थगन नही है। इस प्रकार समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में रजिस्टर्ड विकय दिनांक 24.11.1970 एवं उसके आधार पर दर्ज नामान्तरणकरण संख्या 502 दिनांक 14.06.2005 विधिक रूप से उचित है। एवं इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2024 में कोई हस्तक्षेप करना आवश्यक नही है एवं अधीनस्थ न्यायालय

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24/12/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2024 उचित है। अतः अपीलाण्ट का एतराज मान्य नही है। प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा का निर्णय दिनांक 13.08.2024 विधि सम्मत पारित किया गया है । तदानुसार यह अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारीज की जाती है।

अतः प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जसवंतपुरा का निर्णय दिनांक 13.08..2024 विधि सम्मत पारित किया गया है। तदानुसार यह अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारीज की जाती है एवं म्युटेशन संख्या 502 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

24/12/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

24/12/2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)